उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 9/2780(4)/71-1-2014-जी-66/2014
लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर 2014

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध प्रवक्ता आब्स एण्ड गायनी विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-178(1)/14/सेवा-8/2012-13, दिनॉक 26-02-2014 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय डा0 टीना बर्मा, पता-51ए/22ए/1, मिन्टो रोड, इलाहाबाद, उ0प्र0, पिन-211001 को प्रवक्ता, आब्स एण्ड गायनो के पद पर मेडिकल कालेज, जालौन में वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 5400/- में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) संबधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियो को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र।

3450
CAO
22-9-14

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

संख्याः- 9/2780(5)/71-1-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यालय-ज्ञाप को विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड (ख) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर, इसकी 10-10 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, जनपथ भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, जालौन।

6- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।

7- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जालौन

8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।

9- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याःएम0ई0–2/2014/2624-25 लखनऊ दिनॉक 24 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन।
2. डा0 टीना वर्मा, पता–51ए/22ए/1 मिन्टो रोड, इलाहाबाद, उ0प्र0 पिन–211001

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक